शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-49 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 11-18 दिसम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

जब राजकोषीय घाटा ही 6170 करोड़ था तो 6700 करोड का कर्ज क्यों लिया गया

- एक वर्ष में 14000 करोड़ का कर्ज लेना बना मुद्दा
- क्या वर्ष 2023-24 की कर्ज सीमा लांघ चुकी है सरकार
- इस वित्तीय स्थिति में गारंटीयां पूरी हो पाने पर उठने लगे सवाल

शिमला/शैल। कांग्रेस की सुक्खू सरकार अपने एक वर्ष के कार्यकाल में 14000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इतना कर्ज लेने के बावजूद चुनावों में दी हुई गारंटीयां पूरी करने में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पायी है। लाहौल और स्पीति की महिलाओं को 1500 रूपये देने की घोषणा पर जनवरी 2024 से अमल होगा। पुरानी पैन्शन बहाल कर देने के बाद कर्मचारियों के भुगतान के मामले उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ए.जी. ऑफिस में भुगतान के लिये लंबित है। कांग्रेस का विपक्ष में पूर्व जयराम सरकार के खिलाफ यही बड़ा आरोप था की इस सरकार ने प्रदेश को कर्ज के गर्त में डाल दिया है। ऐसे में जब कांग्रेस की सरकार भी उसी कर्ज के रास्ते पर पहले से भी ज्यादा गति से चल पड़े तो स्वभाविक है कि यह सवाल उठेगा ही कि कहीं यह सरकार भी वित्तीय कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची का शिकार तो नहीं हो रही है। इस सवाल को समझने के लिये वर्ष 2022-23 के बजट को देखना पड़ेगा क्योंकि सुक्खू सरकार को यह बजट जयराम से विरासत में मिला है।

इस बजट को पूरा करने के लिये सुक्खू सरकार ने जनवरी 2023 से कर्ज लेना शुरू किया और वित्तिय वर्ष के अन्त मार्च 2023 तक 6700 करोड़ का कर्ज ले लिया। जयराम सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिये 51364.75 करोड़ का बजट सदन में पारित करवाया था। इस वित्तीय वर्ष में 6170 करोड़ का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान था और मुख्यमंत्री सक्खू ने भी अपने बजट भाषण में इसे स्वीकारा है।

177. अध्यक्ष महोदय, अब, मैं 2022-23 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 38 हज़ार 945 करोड़ रुपये हैं। 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45 हज़ार 115 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2022-23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6 हज़ार 170 करोड़ रुपये का राजस्व deficit अनुमानित हैं।

178. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 53 हज़ार 413 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

179. वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ 37 हज़ार 999 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 42 हज़ार 704 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4 हज़ार 704 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9 हज़ार 900 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 प्रतिशत् है।

180. मुझे विश्वास है कि प्रभावी कर अनुपालन, भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

181. 2023-24 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 26 रुपये, पैंशन पर 16 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 10 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, जबकि शेष 29 रुपये पूँजीगत कार्यों

यदि सुक्खू सरकार ने जयराम शासन के अंतिम छः माह के लिये गये फैसलों को रद्द करके 600 से अधिक संस्थानों को बन्द न किया होता तो यह घाटा और भी बढ़ जाता। इसीलिये 13141.07 करोड़ की अनुपरक मांगे सदन में लाने के बाद भी अन्तिम राजकोषीय घाटा 6170 करोड़ ही रहा। इस घाटे का अर्थ है 2022-23 के बजट को पूरा करने के लिये 6170 करोड़ का ही कर्ज लेने की आवश्यकता थी। लेकिन आर.टी.आई. सूचना के अनुसार सुक्खू सरकार ने जनवरी 23 से मार्च 23 तक 6700 करोड़ का कर्ज़ क्यों ले लिया। यह सवाल इसलिये उठ रहा है कि जब आर.टी.आई. में इस कर्ज के दस्तावेज सामने आये तो यह कहा गया कि 6700 करोड़ का कर्ज तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के खर्चो को पूरा करने के लिये लिया गया। जब इस वर्ष की आवश्यकता ही 6170 करोड़ की थी तो इसके लिये 6700 करोड़ कर्ज क्यों लिया गया इसका कोई जवाब नहीं आया है।

सुक्खू सरकार का केन्द्र सरकार पर यह आरोप है कि उसने राज्य सरकार की कर्ज लेने की सीमा में कटौती कर दी है और अब वह एक वर्ष में केवल 6000 करोड़ का ही कर्ज ले सकती है। लेकिन यह सरकार 2023-24 की इस कर्ज सीमा से अधिक का कर्ज इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक ही ले चुकी है। क्योंकि इस सरकार द्वारा लिये गये कुल कर्ज का आंकड़ा करीब चौदह हजार करोड़ हो चुका है। जिसका अर्थ है कि अगले तीन माह में नियमानुसार यह सरकार कोई नया कर्ज नहीं ले पायेगी। दूसरी ओर सरकार को 1500 रूपये महिलाओं को देने की गारंटी भी जनवरी से पूरी करने के वायदे को अन्जाम देना है। ऐसे में जब सरकार के पास वित्तीय संसाधन ही नहीं होंगे तो इन गारंटीयों को पूरा करने पर स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

राज्यपाल ने किया दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा का सम्मान

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन मे दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभावान छात्र-छात्राएं सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनसे हम सबका मनोबल भी बढ़ता है।

राज्यपाल राज भवन में उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित ''हौंसलों की उड़ान'' कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

राज्यपाल ने विशेष क्षमता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि यह संस्था मानवता की सेवा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रेरणादायी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का का सशक्तिकरण पूरे विश्व समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों से जुड़ी व्यक्तिगत और संस्थागत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने से सभी का उत्साहवर्द्धन होता है। उन्होंने कहा कि इन विशेष बच्चों के संघर्षो और उपलब्धियों के बारे में जानकर उनका भी मनोबल बढ़ा है।

शुक्ल ने कहा कि सिर्फ सरकारी प्रयासों से समाज के किसी भी दुर्बल वर्ग की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उमंग फाउंडेशन के प्रयासों से ऐसे बच्चों का सशक्तिकरण हो रहा है। रक्तदान के क्षेत्र में भी संस्था के प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को बराबरी का दर्जा एवं अधिकार दिलाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें दया नहीं बल्कि समान भागीदारी चाहिए।

राज्यपाल ने मुस्कान नेगी, अंजना ठाकुर और प्रतिभा ठाकुर का उद्हारण देते हुए कहा कि ये छात्राएं अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से दिव्यांगता को मात देकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई।

राज्यपाल ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में एमबीबीएस की छात्रा निकिता चौधरी को हिमाचल प्रदेश की पहली व्हीलचेयर यूजर डॉक्टर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि इन्होंने ये मुकाम हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि एशियन पैरा गेम्स में भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने 111 पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है।

राज्यपाल ने कुल 5 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए। 2 दिव्यांग विद्यार्थियों को मोबाइल फोन प्रदान किए। प्रदेश की पहली व्हीलचेयर यूज़र एमबीबीएस छात्रा निकिता चौधरी, 3 दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसरों मुस्कान, अंजना ठाकुर, एवं प्रतिभा ठाकुर, आरकेएमवी कॉलेज की पांच दिव्यांग छात्राओं समेत 40 उच्च शिक्षित दिव्यांगों एवं उनकी सहायता करने वाले 15 युवाओं को सम्मानित किया। उच्च शिक्षा विभाग की कमला कौशल द्वारा दृष्टिबाधित बेटियों के लिए 3 लैपटॉप, प्रोफेसर एसपी बंसल एवं रवि ठाकुर ने एक-एक लैपटॉप अपनी ओर से भेंट किए। राज्यपाल ने प्रदेश की पहली महिला दृष्टिबाधित महिला रक्तदाता निशा ठाकुर को भी सम्मानित किया।

केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रो. एस.पी.बंसल ने राज भवन में कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जनजातीय क्षेत्र के विकास पर खर्च होंगे 857 करोड़ रुपये:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

यह जानकारी जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में इन स्कूलों में 24,794 विद्यार्थी दाखिल हुये हैं। प्रधानमंत्री वन धन विकास कार्य के तहत प्रदेश में चलाये जा रहे चार वन धन विकास केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर आजीविका प्रदान की जा रही है।

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए प्री-एक्जामिनेशन कोचिंग सेन्टर के निदेशक प्रो. जोगिंद्र सिंह धीमान ने जनजातीय विकास मंत्री को विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं से अवगत करवाया।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय लोगों की सुविधा के लिए नूरपुर तथा रामपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्रदेश के जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा।

युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के सौ वर्ष पूरे होने और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने

के अवसर पर विधि संकाय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'युवा संसद कार्यक्रम' को संबोधित किया।

इस अवसर पर विधि संकाय के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्र को मज़बूत बनाने के लिए सकारात्मक सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और ऐसे में युवाओं को मानसिक दृढ़ता का विकास कर देश का एक प्रबुद्ध नागरिक बनना चाहिए।

राज्यपाल ने विविधता में एकता के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यह हमारे देश की अनूठी विशेषता है। विद्यार्थी एकता के महत्व को समझें और राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं।

उन्होंने कानून के छात्रों को किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने का परामर्श देते हुए कहा कि यह केवल अभ्यास मात्र तक सीमिति नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें सामग्री के बारे में अपने विचारों एवं भावनाओं का परीक्षण कर गहरी अवधारणाओं की समझ विकसित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में युवाओं को जागरूक होना चाहिए और निडर होकर अपनी राय भी देनी चाहिए। राज्यपाल ने संसद के महत्व और इसकी गौरवशाली परंपराओं के बारे में भी चर्चा की और कहा कि देश की प्रतिष्ठित हस्तियां और कानूनविद हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी छात्रों को संबोधित किया।

विधि संकाय की डीन प्रोफेसर अंजू वली टिकू ने राज्यपाल का स्वागत किया।

युवा संसद के संयोजक डॉ. विकेश राम त्रिपाठी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विधि संकाय के विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित थे।

हिमाचल में जनवरी 2024 से शुरू होगी गोबर खरीद योजना:कृषि मंत्री

शिमला/शैल। कृषि मंत्री चन्द्र कुमार ने कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि सहित पशुपालकों व किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में इस योजना को

आरम्भ करने की घोषणा की है। कृषि एवं पशुपालन विभाग इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए पशुपालन और कृषि विभाग सामजस्य स्थापित कर, कार्य करना सुनिश्चित करें। योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरम्भिक चरण में योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके कलस्टर बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि क्लस्टर में सम्मिलत किसानों को कृषि के साथ-साथ मुर्गी पालन, मौन पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन किसानों को प्रदेश सरकार की अनुदान योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से खरीदे गए गोबर का भण्डारण किया जाएगा और गोबर की आपूर्ति बागवानी, कृषि क्षेत्र और नर्सरी इत्यादि में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा और जैविक फसलों को आकर्षक दाम पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से अवगत करवाने के लिए ई-पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाएगी।

शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया ने किसानों, बागवानों के हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक अभिनव पहल पर कार्य किए जा रहे हैं।

बैठक में सचिव कृषि सी.पॉलरासु, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, निदेशक पशुपालन डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मेडरीच कम्पनी ने 1000 आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में इस साल जून से अगस्त 2023 में भारी वर्षा के कारण हुई बाढ़ तथा भूस्खलन के चलते लाखों लोगों ने अपने घर परिवार और आजीविकाएं खोई हैं। इस कठिन समय में, बंगलुरु स्थित मेजी ग्रुप की मेडरीच कम्पनी, नई दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संस्था पी.पी.एच.एफ. व शिमला-स्थित मानवतावादी संस्था-39 (डूअर्स-39) ने साथ मिलकर आपदा प्रभावित परिवारो की मदद की। बेंगलुरु स्थित मेजी ग्रुप की मेडरीच कम्पनी की CSR फन्डिंग से 1000 आपदा प्रभावित परिवारो तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। ये राहत सामग्री पाँच ज़िलों बिलासपुर, शिमला, सोलन, किन्नौर और हमीरपुर में प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सम्बंधित्त ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन से प्रभावित परिवारो की पहचान की गई जिनके घर और आवास पूरी तरह से भूस्खलन और भारी बारिश के कारण नष्ट हो गए थे। पी.पी.एच.एफ. फाउंडेशन और मेडरीच के सहयोग से डूअर्स ने इन परिवारों के लिए एक उपयुक्त सहायता पैकेज तैयार किया, जिसमें 16 आवश्यक आइटम शामिल थे-इ. पी. इ. फॉर्म शीट, वॉटरप्रूफ टारपॉलिन शीट, प्लास्टिक जेरी कैन, रिचार्जेबल टॉर्च, चावल, दाल, नमक, आलू, हल्दी, मिर्च पाउडर, सरसों और रिफाइंड तेल, सेनेटरी नैपकिन, डेटॉल, और साबुन। इस राहत सामग्री को 328 ग्राम पंचायतों में पहुंचाया गया। इस मुश्किल समय में मेडरीच कम्पनी की मद्द एक सराहनीय कदम है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

'हिम महोत्सव'राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में हिमक्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा दिल्ली हाट में 17 से 30 दिसम्बर तक आयोजित किये जा रहे 'हिम महोत्सव' का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर पहाड़ी संस्कृति एवं इसकी विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए नवीन पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचली टोपियों में नए डिजाइन बनाने के प्रयास किए गए और हाल की उनकी दुबई यात्रा के दौरान इनका प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचली टोपियों के निर्यात के लिए प्रयास कर रही है, जिसे दुबई में भी निवेशकों द्वारा सराहा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम महोत्सव में प्रदेश के कारीगरों व बुनकरों को अपने उत्पाद बेचने का एक प्रभावी मंच उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिससे कारीगरों की व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि हिम महोत्सव में लगाये गये 60 स्टॉल और हिमाचली लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होंगे।

उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश की अनूठी कला, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करने और इसके अनूठे उत्पादों और हस्तशिल्प को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने और देश-विदेश में पहचान दिलवाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता सभी को आकर्षित करती है और मैदानी इलाकों की तुलना में सर्दियों में प्रदेश में मौसम बहुत अच्छा होता है। उन्होंने राज्य में विशेषकर साल के आखिरी सप्ताहांत में सर्दियों का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का स्वागत किया और कहा कि विंटर कार्निवल उनके लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यंजनों का जश्न मनाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि हिम क्राफ्ट ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले और जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा और व्यंजनों को काफी सराहा गया और अच्छी बिक्री दर्ज की गई। उन्होंने हिमक्राफ्ट की गतिविधियों और सरकार द्वारा कारीगरों और बुनकरों को दी जा रही सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपने स्वागत सम्बोधन में आयोजन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाया।

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक चैतन्य शर्मा, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नज़ीम, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, ओएसडी के. एस. बांशटू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिमला, नादौन और हमीरपुर होंगे तारों के जंजाल से मुक्त:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों का सौंदर्यीकरण करने और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध 'करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरों में अकसर पाया जाता है कि ओवरहेड बिजली की और अन्य तारों का जंजाल शहरों की सुन्दरता पर ग्रहण लगाते हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने बिजली की तारें भूमिगत करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए 65 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके तहत शिमला शहर को तारों के जंजाल से मुक्त कराने के लिए 25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे, जिससे कि आपरेशन सर्कल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित, कसुम्पटी, शिमला में विद्युत केबल की डक्टिंग की जाएगी। इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भूमिगत केबल बिछाने के साथ-साथ सम्बंधित कार्यो पर 20-20 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड को इन कार्यो को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकें अपना रही है।

केन्द्र से आयुष्मान कार्डधारकों के लम्बित 50 करोड़ रुपये के भुगतान का आग्रह:चन्द्र कुमार

शिमला/शैल। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट की और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

कृषि मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लम्बित 50 करोड़ रुपये के शीघ्र भुगतान का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को टांडा मेडिकल कॉलेज के यूरोसर्जरी विभाग में लिथोट्रिप्सी मशीन, टेस्ला एम.आर.आई. मशीन, पेट स्कैन, लैप्रोस्कोपिक उपकरण, आधुनिक थ्री-डी अल्ट्रासांउड मशीन, कैंसर रोगियों के लिए ब्रैकीथैरिपी मशीन व लीनियर एक्सेलरेटर, एनस्थिसिया वर्कस्टेशन, कार्डियोलॉजी विभाग के लिए कैथ लैब और हैपेटोलॉजी के लिए फाइब्रोस्कैन सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की।

कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार तथा शाहपुर से विधायक केवल पठानिया ने केन्द्रीय मंत्री से कांगड़ा जिला के शाहपुर के लिए ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। केवल पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से होकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग गुजरता है और दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में यह ट्रॉमा सेंटर त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में कारगर साबित होगा।

केन्द्रीय मंत्री ने सभी मांगें ध्यानपूर्वक सुनीं और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के पुरूवाला में सिरमौरी हाट की आधारशिला रखी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरूवाला में सिरमौरी हाट की आधारशिला रखी। 450 वर्ग मीटर में निर्मित होने वाले इस तीन मंजिला भवन में सभी मूलभूत सुविधाओं के सृजन का प्रावधान है। इसके निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। भवन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के सराहां में 'शी हाट' की तर्ज पर निर्मित किया जाने वाला यह हाट क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के लोगों विशेष कर महिलाओं को अपने हस्तशिल्प तथा खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उनकी बिक्री के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सिरमौरी हाट में स्थानीय ग्राम पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हाट में सिरमौर जिला के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे जिससे पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध जीवनशैली को जानने और समझने के अवसर भी प्राप्त होंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को ब्रांड के तौर पर देश-विदेश में स्थापित करने के लिए इसका नाम बदलकर हिमक्राफ्ट किया गया गया है।

इसके उपरान्त मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्रपी ने कहा कि उन्होंने दुबई में निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने निवेशकों को राज्य में ऊर्जा, पर्यटन तथा हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है ताकि प्रदेश के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन को भी कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा की दुबई के निवेशक आगामी जनवरी माह में हिमाचल आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। सरकार के इन प्रयासों को देश के साथ-साथ विदेशों में भी सराहा जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक सुख राम चौधरी, विनय कुमार, अजय सोलंकी, पूर्व विधायक किरनेश जंग, उपायुक्त सुमित खिमटा, पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एवं सचिव रूपेन्द्र ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश सचिव अवनीत सिंह लांबा तथा दयाल प्यारी, निदेशक जोगिंद्रा बैंक असगर अली, निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति निगम नसीमा बेगम, निदेशक राज्य सहकारी बैंक भारत भूषण मोहिल, अन्य कांग्रेस पदाधिकारी तथा पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि व स्वयं सहायता समूहों के सदस्य उपस्थित थे।

अधिकारियों को फल मंडियों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश :जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश देश में फलों विशेषकर सेब के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की आर्थिकी में सेब की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार सेब व्यापार से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

यह जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब उत्पादन एवं विपणन से जुड़े हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए गठित विशेष जांच दल (एस.आई.टी.), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (एचपीएमसी), कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार सेब व्यापार में लिप्त धोखाधड़ी करने वालों के बारे प्रदेश के लोगों को जागरूक करेगी। राज्य में कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि धोखा करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके और राज्य व सेब उत्पादकों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

बागवानी मंत्री ने अधिकारियों को फल मंडियों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि ऐसे मामलों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी नियमों का पालन सख्ती से किया जाए ताकि हितधारकों को कोई परेशानी न आये। एस.आई.टी., एचपीएमसी, एपीएमसी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मिलजुल कर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान एस.आई.टी. के सदस्य अरविंद दिग्विजय नेगी ने भी अपनी प्रस्तुति दी।

स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

संसद की सुरक्षा में सेंध–कुछ सवाल

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर दो युवाओं का सदन के भीतर तक पहुंच जाना और दो का संसद प्रांगण में नारे लगाना एक ऐसी घटना है जिसने हर आदमी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जगह संसद भवन है। यदि कोई व्यक्ति हंगामा करने की नीयत से सारे सुरक्षा प्रबंधनों को लांघकर यहां तक पहुंच जाये तो इसे एक साधारण घटना नहीं माना जा सकता। संसद की सुरक्षा में चूक हुई है और इस पर देश को यह जानने का अधिकार है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। यदि यह लोग कहीं हथियार लेकर ही गये होते तो परिस्थितियां क्या हो जाती इसकी कल्पना करना भी भयावह लगता। यह लोग बिना हथियारों के अन्दर घुसे उससे यह माना जा सकता है कि इनका मकसद अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का ही रहा होगा। यह सही है कि इस तरह का तरीका अपनाना अपने में गलत है। यह सभी लोग पकड़े गये हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होकर जांच चल रही है। इस जांच का परिणाम आने तक इस पर और कुछ तकनीकी पक्षों को लेकर कहना सही नहीं होगा। जांच रिपोर्ट आने तक इन लोगों को किसी आतंकी संगठन से जोड़ना भी जायज नहीं होगा।

यह घटना उस समय घटी जब संसद का सत्र चल रहा था। इसलिए इस घटना पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की सांसदों द्वारा मांग किया जाना किसी भी तरह नाजायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सांसदों की इस मांग पर उनके आचरण को असंसदीय करार देकर संसद से निलंबित कर देना अपने में ही मामले को और गंभीर बना देता है। यदि सांसद गृह मंत्री से घटना पर वक्तव्य की मांग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यदि सांसदों की मांग ही नहीं मानी जा रही है तो किसी अन्य की मांग मान ली जायेगी इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के ''पास'' एक भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा की संस्तुति पर बनाये गये है इसलिये इस घटना पर प्रधानमंत्री या गृहमंत्री कोई भी ब्यान नहीं दे रहा है। जिस तरह का राजनीतिक वातावरण आज देश के भीतर है उसमें यदि इन लोगों के ''पास'' कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल के सांसद के माध्यम से बने होते तो परिदृश्य क्या होता? क्या अब तक उस सांसद के खिलाफ भी मामला न बना दिया गया होता? ऐसे सवाल उठने लग पड़े हैं।

अभी पांच राज्यों में हुये विधानसभा चुनावों में जिस तरह की जीत भाजपा को मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हासिल हुई है उससे उत्साहित होकर प्रधानमंत्री ने यह घोषित कर दिया कि वही अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री का अतिउत्साह कहा जाये या अभियान पाठक इसका स्वयं निर्णय कर सकते हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद ई.वी.एम. मशीनों और चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। चयन प्रक्रिया पर जो सवाल एक समय वरिष्ठतम भाजपा नेता एल.के.आडवाणी ने तब के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उठाये थे वही सवाल अब उठ रहे हैं। ई.वी.एम. मशीनों की विश्वसनीयता पर भी सबसे पहले सन्देह भाजपा ने ही उठाया था। ई.वी.एम. का मुद्दा नये रूप में सर्वोच्च न्यायालय में जा रहा है। एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गयी है जहां हर चीज स्वत: ही सन्देह के घेरे में आ खड़ी हुई है। लेकिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री इन जनसन्देहों को लगातार नजरअन्दाज करते जा रहे हैं।

ऐसे परिदृश्य में क्या देश का शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये इस तरह के आचरण के लिये बाध्य नहीं हो जायेगा? आज का युवा सरकार की नीतियों का आकलन करने में सक्षम है। वह जानता है कि किस तरह से देश के संसाधन निजी क्षेत्र को सौंपे जा रहे हैं। इन नीतियों से कैसे हर क्षेत्र में रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं। यदि इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो युवाओं का ऐसा आचरण एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जायेगा यह तय है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमासीकरण भारतीय जनतंत्र के लिए घातक

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में केरल के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसकी प्रतिध्वनि दूर तक सुनाई दी और पूरा देश सन्न रह गया। खबरों में बताया गया कि मलप्पुरम में जमात–ए–इस्लामी की युवा शाखा, सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित फिलिस्तीन समर्थक रैली को हमास के नेता खालिद मशाल ने आभासी माध्यम से संबोधित किया। इस संबोधन ने एक गर्म बहस छेड़ दी है और केरल के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस संबोधन पर न केवल राज्य के विभिन्न राजनीतिक गुटों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओरगिलोन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। मशाल का भाषण फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने वालों के लिए कारवाई का आहवान था। यदि मशाली की भाषा पर गौर करें तो साफ लगता है कि मशाल केवल फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, वे दुनिया के मुसलमानों का जिहाद के लिए आहवान कर रहे हैं। फिलिस्तीन के बहाने मशाल, फिलिस्तीन विरोधियों पर आक्रमण करने और अल–अक्सा मस्जिद के पुनरुद्धार की बात कर रहे हैं। यह केवल फिलिस्तीन के समर्थन की बात नहीं है अपितु यह उस इस्लामिक जिहाद का अंग है, जिसे हर इस्लामिक आतंकवादी अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखता रहा है।

खालिद के संबोधन ने विचार के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाये हैं। खालिद मशाल हमास का नेतृत्व करते हैं। हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी समूह के तौर पर घोषित किया जा चुका है। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, हमास को एक जटिल और गैर जिम्मेदार संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकाय फिलिस्तीनी राज्य से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) को अधिकृत निकाय के रूप में मान्यता प्रदान कर रखा है। संयुक्त राज्य की मान्यता के ठीक विपरीत, हमास पीएलओ को चुनौती दी। हमास 1970 के दशक में अस्तित्व में आया और संयुक्त राष्ट्र के साथ ही साथ शांतिप्रिय उन तमाम देशों की योजना पर पानी फेर दिया, जिसके प्रयास के कारण फिलिस्तीन और इजरायत, स्थाई शांति की ओर बढ़ रहे थे। इससे हमास की वैधता पर सवाल खड़ा होता है। सच पूछिए तो यह संगठन सच्चे अर्थो में फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व भी नहीं करता है। हमास, दुनिया के देशों के महापंचायत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप घोषित किया गया है। हमास, हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। यह केवल इजराइलियों के लिए ही घातक नहीं है, अपितु इसने कई विरोधी शांतिप्रिय फिलिस्तीनियों को भी निवटाया है। यहां यह बता देना जरूरी होगा कि फिलिस्तीनी नेतृत्व के भीतर आपसी अंतरविरोध लंबे समय से फिलिस्तीनी–इजराइली संघर्ष के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्राप्त करने में बाधक रहा है। भारत सहित दुनिया के कई अन्य देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे हमास जैसे आतंकवादी समूहों के प्रति सावधान रहें, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित कर रखा है। इससे न केवल हमारी छवि खराब होगी अपितु पाकिस्तान की तरह हमारा देश भी बदनाम हो जाएगा।

अक्सर इजरायल–फिलिस्तीनी संघर्ष के साथ धार्मिक पहलू जोड़ दिए जाते हैं। अल–अक्सा मस्जिद इस्लाम के लिए बेहद पवित्र स्थानों में से एक है। इससे संबंधित कोई भी कारवाई या ब्यान दुनिया भर में मुसलमानों की भावनाओं को भड़काता है। अल–अक्सा का समर्थन करने की खालिद मशाल की अपील स्वभाविक रूप से मुसलमानों को पसंद आयी होगी। यह मामला ही धार्मिक है, जबकि फिलिस्तीन ओर इजरायल की लड़ाई धार्मिक न होकर राजनीतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय है। फिलिस्तीनी मुद्दा कई लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। खासकर उनके लिए, जो न्याय और मानवाधिकारों की वकालत करते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी कारण के समर्थन में की गई कारवाई अनजाने में समाज के भीतर अशांति को बढ़ावा न दे। भारत के मुसलमानों को यह सोचना होगा कि एकजुटता व्यक्त करने के बीच सामाजिक संतुलना बनाए रखें। फिलिस्तीन और इजरायल के चक्कर में हम अपनी शांति न कहीं नष्ट कर लें।

खालिद मशाल के संबोधन और व्यापक इजरायल–फिलिस्तीनी संघर्ष को लेकर विवाद और बहस के बीच, यह याद रखना जरूरी है कि गाजा की स्थिति ऐसी है जिसने कई हलकों में गहरी चिंता और आलोचना पैदा की है। इजरायल–फिलिस्तीनी संघर्ष की जटिलताएं निर्विवाद हैं। सैन्य अभियानों के दौरान नागरिक जीवन का बचाव और सम्मान बहुत जरूरी है। यह एक सार्वभौमिक नैतिकता का अंग है। सामान्य और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा की जानी चाहिए। रचनात्मक बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, इस लंबे संघर्ष का उचित और स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। सैन्य कार्रवाई से आहत और परेशान गाजा के नागरिकों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी ही चाहिए। यह केवल इस्लामिक दायित्व नहीं है, अपितु यह सकारात्मक मानवीय भाव है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि गाजा में स्थाई रूप से शांति बहाल हो। हमें इसके लिए जेहाद की गलत व्याख्या कर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। फिलिस्तीन के मामले में दुनिया की राय से भिन्न भारत का चिंतन नहीं है। ऐसे में खालित मशाल का आभाषी संबोधन भारत जैसे लोकतांत्रित देश के लिए बेहद खतरनाक है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के समग्र विकास में योगदान दे सकती है

शिमला। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरु में मनीकंट्रोल संस्था द्वारा आयोजित एक फायरसाइड चैट में भाग लिया, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और भारत पर इसके संभावित प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, उनके अवसरों का विस्तार कर सकती है और भारत के समग्र विकास में योगदान दे सकती है।

राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, 'हम एआई को पहले से ही तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बोल्ट के रूप में देखते हैं, जो एक गतिज प्रवर्तक के रूप में कार्य करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए, हमने एक समग्र ढांचा तैयार किया है जो एआई की गणना क्षमता के बारे में बात करता है। सरकार मूलभूत मॉडल, बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) और विभिन्न उपयोग के मामलों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगी। सेमीकंडक्टर मॉडल की तरह, हम स्टार्टअप्स को भी वित्त पोषण देंगे। हम एक अकादमिक, उद्योग और स्टार्टअप अनुसंधान इकोसिस्टम के निर्माण पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसे हम नवाचार और अनुसंधान केंद्र के रूप में संदर्भित करते हैं। एआई चिप्स सहित कई निकटवर्ती क्षेत्र भी हैं, जहां हम सेमीकंडक्टर कार्यक्रम और भारत एआई मिशन के बीच एक अंतरसंबंध स्थापित करेंगे। एआई गणना के दो खंड होंगे: एक निजी क्षेत्र के नेतृत्व में, प्रोत्साहन निवेश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के डिजाइन के समान होगा और दूसरे खंड में सी-डैक से उभरने वाली एआई के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता शामिल है, जो भारतीय इकोसिस्टम के लिए उपलब्ध होगी।

राज्य मंत्री ने चिप की कमी की चुनौती पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि इसके अपेक्षाकृत शीघ्र हल होने की आशा है। उन्होंने भविष्य में बढ़ते इकोसिस्टम की आशा करते हुए भारत को एआई प्रतिभा के पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा, 'चिप की कमी एक ऐसी समस्या है जो सबसे तेजी से दूर हो जाएगी। प्रतिभा जैसी चुनौतियाँ हैं। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके लिए शीर्ष स्तर की प्रतिभा की आवश्यकता होगी। हमें उभरने के लिए पोस्टडॉक्स, पीएचडी और मास्टर स्नातकों की आवश्यकता है। हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों को उस तरह की प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसे यह इकोसिस्टम आने वाले वर्षों में आत्मसात करेगा।

राज्य मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार ने इंटरनेट की सर्वव्यापी प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों, डीपफेक, गलत सूचना और दुष्प्रचार जैसे मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान किया है।

राज्य मंत्री ने आगे कहा, 'हमें एक वैश्विक ढाँचा बनाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि अमेरिकी या यूरोपीय ढाँचा बनाने पर। इंटरनेट की प्रकृति और सोशल मीडिया पर हमारे अनुभव, विषाक्तता, और इससे होने वाले अपराध या हानि ने हमें दिखाया है, कि चाहे किसी भी देश ने नियम और कानून बनाए हों, इंटरनेट की सर्वव्यापी प्रकृति का मतलब है कि 80 से 90 प्रतिशत साइबर अपराध या नुकसान क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। अपराधी एक क्षेत्राधिकार में हो सकता है, पीड़ित दूसरे में, और अपराध तीसरे क्षेत्र में हो सकता है। हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि कुछ सिद्धांत हैं, सुनिश्चित करें कि नुकसान और आपराधिकताओं की एक सूची है जैसा कि हम आज देखते हैं, और फिर जैसे ही हम दुर्भावनापूर्ण मॉडल, पक्षपातपूर्ण, कट्टर मॉडल और एल्गोरिदम का सामना करते हैं, इसे जोड़ते रहें। डीपफेक एक उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि गलत सूचना और स्पष्ट रूप से गलत जानकारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो सोशल मीडिया पर फैल गई हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, विषेशरूप से लोकतांत्रिक देशों में। यह विभाजन, उकसावे और फर्जी आख्यान पैदा करता है। सोशल मीडिया में ग़लत सूचना एक समस्या रही है। अब एआई द्वारा संचालित गलत सूचना की कल्पना करें।

राज्य मंत्री ने हाल ही में संपन्न जीपीएआई के बारे में भी बातचीत की जहां 29 सदस्य देशों ने व्यापक सिद्धांतों और रूपरेखाओं पर चर्चा की थी। राजीव चन्द्रशेखर ने टिप्पणी की,'कुछ सिद्धांतों को स्थापित करने से बचने का कोई तरीका नहीं है। जीपीएआई ने इस साल नई दिल्ली में जो किया है – यह घोषणा करना कि एआई को समावेशी होना चाहिए, ऐसे मॉडल से बचना चाहिए जहां केवल कुछ देशों के पास यह है और अन्य के पास नहीं है-यह महत्वपूर्ण है। हमें तत्काल एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता है क्योंकि, अगले 6-9 महीनों में, एआई इस तरह से आकार लेगा और विकसित होगा कि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं या पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए, हमें सिद्धांतों और नियमों के एक विस्तृत समूह के साथ इस ढांचे को शीघ्रता से स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका सभी देश पालन कर सकें। वर्ष 2021 से, भारत ने पहले ही प्लेटफार्मों के खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास, उत्तरदायित्व और कानूनी उत्तरदायित्व पर चर्चा के लिए कदम उठाए हैं।

राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने बेंगलुरू में राष्ट्रीय समर स्मारक पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने सेवा और बलिदान देने वाले भारत के बहादुरों का सम्मान करने के लिए अपनी वार्षिक परंपरा के हिस्से के रूप में पुष्पांजलि अर्पित की।

यह कार्यक्रम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और इन पहलों की 100 प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करने के लिए 'जनभागीदारी' की भावना में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यह पहल, भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा जन संपर्क कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 25 जनवरी, 2024 तक देश भर में 2.60 लाख ग्राम पंचायतों और 4000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करना है।

युवाओं को आजीविका के साधन प्रदान करेगी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना

शिमला। प्रदेश में स्वरोजगार उन्मुख अवसरों को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 शुरू की है।

योजना के पहले चरण में, किसी भी सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, स्वायत्त निकाय, बोर्ड, निगम, सरकारी उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है। प्रदेश सरकार इसमें ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करके राज्य के युवाओं को रोजगार और स्टार्ट-अप सहायता की गारंटी देगी। सब्सिडी की गणना सभी प्रकार के करों सहित एक्स-शो रूम कीमत पर की जाएगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष, वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव और बारहवीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सहित आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बेरोजगारी प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस में से कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। जरूरतमंदों की मदद के लिए विशेष मामलों में अनुभव मानदंड में छूट का भी प्रावधान रखा गया है। आवेदक को परिवहन विभाग के पोर्टल पर एक खाता बनाना होगा जिसे आधार अथवा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

आवेदनों की छंटनी और जांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) स्तर पर की जाएगी। इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट निर्धारित किया गया है, जो संबंधित आरटीओ की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लिया जाएगा। ड्राइविंग कौशल के अलावा, आवेदक को मोटर कार तंत्र, चालक के कर्तव्यों, ईंधन व ऊर्जा दक्षता, वाहनों के बुनियादी रखरखाव और सर्विसिंग सहित यातायात नियमों इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए।

आवेदनों की जांच के बाद परिवहन विभाग योग्य ई-टैक्सी आवेदकों की सूची (रिजर्व पूल) तैयार करेगा, जो 2 साल के लिए वैध रहेगी। इसके उपरान्त, पात्र लाभार्थी की सिफारिशें आवश्यकता के आधार पर उद्योग या नामित विभाग को सब्सिडी की मंजूरी के लिए पारदर्शी तरीके से प्रेषित की जाएंगी।

किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी व अर्द्ध-सरकारी संस्थान द्वारा नए वाहन या वाहन को बदलने की आवश्यकता अनुसार ई-टैक्सी 4 साल की शुरुआती अवधि के लिए किराए पर ली जा सकेंगी। यह अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकेगी। संबंधित विभाग या संस्थान विशेष रूप से बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर परिवहन विभाग को मांग प्रस्तुत करेंगे।

श्रेणी-ए के लिए सिडान कार, श्रेणी-बी के लिए एसयूवी मिड रेंज, श्रेणी-सी के लिए लंबी दूरी की एसयूवी, श्रेणी-डी के लिए प्रीमियम एसयूवी या एमयूवी और श्रेणी-ई के लिए लग्जरी वाहन ई-टैक्सी के रूप में किराए पर लिया जा सकता है। इन वाहनों के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएसन ऑफ इण्डिया/ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एआरएआई/ आईसीएटी) की न्यूनतम रेंज क्रमश: 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और 450 किलोमीटर होनी चाहिए।

मासिक आधार पर वाहन के लिए तय दूरी लगभग 2500 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जो आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि, एक वर्ष में 30,000 किलोमीटर चलने के बाद संबंधित विभाग द्वारा ई-टैक्सी मालिक को 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ई-टैक्सी की किराए की दरें तय करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

ई-टैक्सी की सेवाएं लेने वाले प्रत्येक विभाग या संस्थान को अपने वाहनों की चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर स्थापित करना होगा अथवा इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के साथ समझौता करना होगा।

परिवहन विभाग आवेदक और खरीदार को ई-वाहन के बारे में नवीनतम तकनीकों, इनके लाभ और अन्य जानकारी बारे जागरूक करने के लिए आरटीओ स्तर पर जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं, ई-वाहन डेमो भी आयोजित करेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना युवाओं को स्टार्ट-अप के माध्यम से सुनिश्चित स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही वाहन प्रदूषण में अपेक्षाकृत कमी लाते हुए हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठित योजना का 2026 तक विस्तार किया गया

शिमला। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4 जनवरी, 2013 को रिट याचिका (नागरिक) संख्या 568/2012 में केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया था। यह रिट याचिका गंभीर अपराधों के खिलाफ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित थी।

भारत सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के माध्यम से बलात्कार से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटान को प्राथमिकता देने का अनुरोध करने के साथ एफटीसी के गठन को लेकर तत्काल कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही, यह अनुरोध राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी किया गया था।

भारत सरकार की ओर से गठित 14वें वित्त आयोग ने गंभीर तरह के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, लाइलाज रोगों आदि से संक्रमित व्यक्ति और 5 साल से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामले से संबंधित नागरिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए साल 2015 से 2020 की अवधि दौरान 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी। राज्य सरकारों की ओर से एफटीसी की स्थापना और धनराशि का आवंटन उनकी आवश्यकता व संसाधनों के अनुसार किया जाना जरूरी है। इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से किया जाना आवश्यक है। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण (32 फीसदी से 42 फीसदी) के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई राजकोषीय संभावना के उपयोग करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी के गठन के लिए धन आवंटित करने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 31.10.2023 तक 848 एफटीसी गठित किए हैं।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम-2018 को लागू करने और विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पूरे देश में विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठित करना है।

शुरुआत में एफटीएससी योजना को 02.10.2019 से एक साल के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद इसका विस्तार दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 तक किया गया, जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 474 करोड़ रुपये के साथ 767.25 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय था। मंत्रिमण्डल ने 04.08.2021 को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 971.70 करोड़ रुपये के साथ 1572.86 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर इस योजना को दो और वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए 31.03.2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने अब इस योजना का अगले तीन वर्षों के लिए यानी 01.04.2023 से 31.03.2026 तक केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 1207.24 करोड़ रुपये के साथ 1952.23 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ विस्तार किया है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को निर्भया निधि से पूरा किया जाना है। इस योजना का निधि-हिस्सेदारी प्रारूप 60:40 (केंद्र:राज्य) और उत्तर पूर्वी व 3 हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 90:10 है। हालांकि, वैसे केंद्रशासित प्रदेश, जहां विधानमंडल नहीं है, के लिए 100 फीसदी केंद्रीय निधि प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालयों की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 31.10.2023 तक 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 412 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 758 एफटीएससी कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने 31.10.2023 तक 2,00,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

यह जानकारी विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

हिमाचल को देश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना सरकार का एजेंडा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'एजेंडा

आज तक-2023' कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए सरकार का मुख्य एजेंडा हिमाचल को भारत की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर बहाली का काम किया गया और हिमाचल प्रदेश सर्दियों के मौसम में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने देश-विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने और इसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राज्य सरकार के प्रमुख निर्णयों और नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उनका पहला काम राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना था। उन्होंने कहा कि उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करते हुए जल्द ही इसमें सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। उन्होंने दस वर्षों के भीतर हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने पहले साल में तीन गारंटियां पूरी की हैं और बाकी गारंटियां आगामी चार सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) मानवीय आधार पर लागू की गई, ताकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन सुरक्षित हो सके।

680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान कर रही है जिससे राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा तथा उनको एक निश्चित आय भी सुनिश्चित होगी।

एक वर्ष के इन्तजार के बाद प्रदेश को मिले दो इंजीनियर मंत्री

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में प्रदेश मंत्रिमंडल के दो नए सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कार्यवाही का संचालन किया।

बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से चुने गये राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित यादविन्द्र गोमा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य संसदीय सचिव, प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, विधायकगण, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों सहित नए बने मंत्रियों के परिजन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजेश धर्माणी का जीवन परिचय

राजेश धर्माणी का जन्म 2 अप्रैल, 1972 को जिला बिलासपुर के घुमारवीं में श्रीमती बिमला देवी एवं श्री रतन लाल धर्माणी के घर

हुआ। इन्होंने एनआईटी हमीरपुर से बी.टेक (सिविल) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से एमबीए की शिक्षा ग्रहण की। इनका विवाह श्रीमती सोनिका शर्मा से हुआ। इनकी एक सुपुत्री है।

धर्माणी प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव, उपाध्यक्ष तथा महासचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस समिति के सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव एवं एनएसयूआई तकनीकी प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे।

राजेश धर्माणी दिसंबर, 2007 में प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए और वर्ष 2012 में पुन: निर्वाचित हुए। वह वर्ष 2007-2012 तक प्राक्कलन और मानव विकास समितियों के सदस्य और वर्ष 2013 से 2017 तक मुख्य संसदीय सचिव रहे।

दिसंबर, 2022 में प्रदेश विधान सभा के लिए तीसरी बार चुने गए और मानव विकास समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए। साथ ही लोक लेखा और ई-गवर्नेंस -सह-सामान्य प्रयोजन समितियों के सदस्य नामित हुए।

कृषि एवं सेरीकल्चर में विशेष अभिरूचि रखने वाले धर्माणी समाज सेवा में भी निरंतर सक्रिय रहे हैं और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

यादविन्द्र गोमा का जीवन परिचय

यादविन्द्र गोमा का जन्म 4 फरवरी, 1986 को पालमपुर, जिला कांगड़ा, में श्रीमती विद्या देवी एवं श्री मिल्खी राम गोमा (पूर्व विधायक) के घर हुआ। इन्होंने बी.टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) तथा आईईईटी बद्दी से एमबीए की शिक्षा ग्रहण की। इनका विवाह श्रीमती नीलम गोमा से हुआ। इनकी एक सुपुत्री है।

यादविन्द्र गोमा वर्ष 2010-2015 तक जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्ष 2011 से 2014 तक राज्य राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के महासचिव और वर्ष 2019-2021 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे।

वर्ष 2012 में गोमा प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए और दिसंबर, 2022 में पुन: निर्वाचित हुए। वह अधीनस्थ विधान समिति के अध्यक्ष और कल्याण एवं नियम समितियों के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए।

एस.डी.आर.एफ. को सुदृढ़ किया जाएगा: जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश में आपदा का जोखिम सदैव बना रहता है। हाल ही में राज्य में प्राकृतिक आपदा से जान व माल का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा बचाव सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.) को सुदृढ़ करेगी।

यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

बैठक के दौरान प्रदेश में आपदा प्रभावितों को प्रदान की जा रही राहत राशि तथा अन्य लाभ पर भी चर्चा की गई। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष आपदा राहत के तहत अभी तक 227 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने सभी प्रभावितों को समय पर लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल की महत्वपूर्ण भूमिका है जो विभिन्न आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्यों को अंजाम देता है। आपदा के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को विभिन्न आपदाओं के लिए अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता के समय प्रशिक्षित जवानों को तैनात करने के लिए योजना बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि जवानों को सभी आवश्यक उपकरण मुहैया करवाएं जा रहे हैं जिसके लिए 12.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ताकि आपदा की स्थिति से निपुणता से निपटा जा सके। जवानों को आम जनता के साथ भी बातचीत कर संचार स्थापित करना चाहिए जिससे जोखिम की स्थिति में स्थानीय लोगों के साथ बेहतर तालमेल से आपदा से निपटा जा सके। विभिन्न आपदाओं की स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के बारे भी लोगों को जागरूक किया जाए।

इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व-आपदा प्रबंधन डी.सी. राणा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक एस.डी.आर.एफ. इल्मा अफरोज़ भी उपस्थित थीं।

हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड का 17वां स्थापना दिवस पुलिस ग्राउंड रिकांगपियों में आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 17वां स्थापना दिवस बड़े उल्लास और उत्साह के साथ पुलिस ग्राउंड रिकांगपियों में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) शिवम प्रताप सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर निगम के झण्डे का ध्वजारोहण किया गया और सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि 2 दिसम्बर 2023 को हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया। निगम ने 200 मेगावॉट की सौर उर्जा परियोजनाओं के निर्माण के वित पोषण के लिए विश्व बैंक से 6 नवम्बर 2023 को करार कर दिया है।

उन्होने कहा कि चम्बा जिला में निर्मित की जा रही 48 मेगावॉट की चांजू-3 जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। 30 मेगावॉट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य भी अगले वित वर्ष में आरम्भ कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व की 40 मेगावॉट की रेणुका बांध परियोजना के लिए केद्र सरकार से धन राशि मिलना आरम्भ हो गया है। इस परियोजना के लिए हमने 1073 करोड़ रूपये की धनराशि परियोजना प्रभावितों को आबंटित कर दी है। आवश्यक वनीकरण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी है। जिससे चरण-2 वन मंजूरी मिल जाएगी और परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। मण्डी जिले में निर्मित की जा रही 191 मेगावॉट क्षमता की थाना प्लॉन जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत आयोग ने अनुमोदित कर दी है और 404 हेक्टेयर वन भूमि को स्थानान्तरित करने के लिए स्टेज-1 मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और बहुत जल्द परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगीं।

उन्होने कहा कि हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के सभी परिचालनाधीन परियोजनाओं से अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। निगम की 690 मेगावॉट की पांच परियोजनाएं निर्माणाधीन चरण में है। इसके अलावा 272 मेगावॉट क्षमता की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी हैं। उन्होंने निगम के कर्मचारियों से और अधिक मेहनत करने की अपील की, जिससे निगम को आबंटित परियोजनाएं समयबद्व पूर्ण की जा सके। शिवम प्रताप सिंह ने निगम के स्थापना दिवस पर सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर निगम के कर्मचारियों एवं परिवारजनों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें निगम के कर्मचारियों एवं उनके बच्चों, आई.टी.आई के छात्रों द्वारा लोक एवं फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियों द्वारा दर्शकों का मनोरजंन किया गया। इस अवसर पर 17 वें स्थापना दिवस पर आयोजित की गई खेल कूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

भाजपा का देश में 900 कार्यालय निर्माण का लक्ष्य:नड्डा

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुंदरनगर जिला कार्यालय का शुभारंभ किया उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, राकेश जमवाल, गोविंद ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहिंद्र ठाकुर, बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, संजीव कटवाल, अजय राणा, संजय ठाकुर, दीप राज कपूर उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा की सुंदरनगर का कार्यालय रिकॉर्ड टाइम में बना। वर्तमान राज्य चुनावों के समय में तीन बड़े राज्यों में जीत से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है और इस उत्साह से हम 2024 की लड़ाई अग्रिम भूमिका में रहकर लड़ेगे।

भाजपा देश के सभी जिलों में कार्यालय निर्माण कर रही है। देश में 900 कार्यालय निर्माण का लक्ष्य है, 726 कार्यालय निर्माण हो रहे है और 500 से ज्यादा कार्यालय बन कर तैयार हो गए है

हिमाचल में सुंदरनगर कार्यालय के उद्घाटन कर चौथा कार्यालय तैयार हो गया है।

नड्डा ने कहा तीन राज्यों के चुनाव परिणाम चर्चा के विपरीत आये छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सब सोच रहे थे कि भाजपा के सरकार नहीं बनेगी पर बड़े बहुमत के साथ बनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी है।

उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम उनके सिपाही है। आज देश की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और प्रधानमंत्री पर देश की जनता विश्वास करती है। आज देश की जनता आपका इंतजार कर रही है, आप उनके बीच जाकर तो देखो जनता आशीर्वाद देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता को धोखा दिया, बरगलाने की कोशिश की, पर पीएम मोदी ने देश की जनता की सेवा करी और गांव को मजबूत किया।

नड्डा ने कहा कि आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में न बड़ा गांधी आया न छोटा गांधी आया पर भाजपा के सभी नेता आये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए केंद्र से बड़ी राशि भेजी। लगभग 1800 करोड़ की राशि आपदा से संबंधित, 2700 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये।

पर कांग्रेस ने इस आपदा की घड़ी में भी बंदरबांट की, कांग्रेस और भाजपा किया।

उन्होंने कहा कि इस सरकार का एक ही उद्देश्य है उधार लो और मस्ती करो। कांग्रेस की गारंटीयो पर नड्डा ने पंच करते हुए कहा की पूरे देश में आज कांग्रेस की गारंटीयां धराशाही हो गई है किसी को उनकी गारंटीयों पर विश्वास ही नहीं है।

नड्डा ने कहा की आने वाले लोकसभा चुनावों में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हमें कमल के फूल को जिताकर लोकसभा भेजना है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें एक बार फिर चौका लगाना है और चारों सीटें जितनी है।

नड्डा ने कहा की प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया है तो वह भाजपा ने किया है हमेशा भाजपा के समय ही प्रदेश में विकास हुआ है। फॉर लैने नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, कोल डैम, मंडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमीरपुर सिरमौर मेडिकल कॉलेज, आईआईटी ऊना, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क हर विकास का काम भाजपा के समय हुआ है।

नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की और बताया कि देश कैसे बदल रहा है व नये भारत का निर्माण किस प्रगति से हो रहा है।

उन्होंने कहा कि 370 धारा को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में देश की नीति पर मोहर लगाई है।

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा जनता को झूठ बोलकर वोट बटोरने की राजनीति की है। सड़क निर्माण के लिये चुना लगाना, पानी के लिए पाइप बिछाना सब नाटक किया। पर असल में अगर किसी ने घर घर सड़क और जल पहुंचने का कार्य किया तो वह केंद्र की मोदी सरकार है।

अब झूठ की राजनीति समाप्त हो गई है और राजनीति में नया युग प्रारंभ हो गया है।

एचपीएमसी की 13 परियोजनाएं मार्च 2024 तक शुरू की जाएंगी:बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (एचपीएमसी) की 13 परियोजनाएं मार्च, 2024 तक शुरू की जाएंगी जिनमें कोल्ड स्टोर तथा ग्रेडिंग व पैकिंग लाइन शामिल हैं। यह जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपीएमसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के विभिन्न उत्पाद विशेषकर फलों के जूस लोकप्रिय है तथा इनकी मांग व उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को एचपीएमसी के बेहतर विपणन, रणनीति, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग तथा प्रसंस्करण के निर्देश दिए।

बागवानी मंत्री ने कहा कि एचपीएमसी अब सेब की शराब के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहा है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों को सुचारू रूप से मशीनरी, कीटनाशक तथा खाद उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने प्रदेश व प्रदेश के बाहर एचपीएमसी की सम्पत्ति का उचित उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कोल्ड स्टोर तथा ग्रेडिंग व पैकिंग लाइन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान मण्डी मध्यस्थता योजना पर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोखटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री का केंद्रीय मंत्री से आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का आग्रह

शिमला/शैल। कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परशोत्तम रूपाला से भेंट की। कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से

प्रदेश में दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार ढगवार में नए संयंत्र को कार्यशील बनाने के लिए क्षेत्र में 1415 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध गतिविधियों को बढ़ाने तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है।

केंद्रीय मंत्री ने कृषि मंत्री को हरसम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और इस सम्बंध में उचित कार्यवाही के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ द्वारा 11 ज़िलों में डेयरी विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं। प्रसंघ द्वारा 1107 समितियों का गठन किया गया है जिसके माध्यम से 47259 दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में मिल्कफेड द्वारा 91500 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 22 मिल्क चीलिंग सेंटर और 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, शिमला के दत्तनगर में 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक पाउडर संयंत्र और हमीरपुर के भौर में 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एक कैटल फूड प्लांट चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को विपणन के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रसंघ द्वारा दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इसकी प्रापण दर बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिम गंगा योजना आरम्भ करने की घोषणा की गई है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में यह योजना पायलट आधार हमीरपुर और कांगड़ा जिला में आरम्भ की जा रही है।

विधायक केवल सिंह पठानिया भी कृषि मंत्री के साथ उपस्थित थे।

कांग्रेस ने रैली में किया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा एक साल

विफलता और इंतजार का। वर्तमान कांग्रेस सरकार का एक साल निराशाजनक रहा और इस एक साल में जनता को अनेकों विफलताएं देखने को मिली, इस सरकार में प्रत्येक वर्ग ने केवल मात्र इंतजार करने का कार्य किया। महिलाओं ने प्रति माह 1500 रुपये, युवाओं ने नौकरियों का, किसान बागबानों ने फसल के दाम तय करने का और गोबर दूध खरीद का इंतजार किया यहां तक की मंत्रियों ने लंबे समय तक अपने मंत्री पदों का भी इंतजार किया।

उन्होंने कहा की मंत्रियों की नियुक्ति में देरी, अब बाकी नियुक्तियों में विलंभ। वर्तमान कांग्रेस सरकार को दो मंत्री बनाने में एक साल का समय लग गया, फिर भी एक मंत्री पद खाली है इस एक पद खाली रहने से कई नेताओं की धड़कन बड़ जायेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चेयरमैन की नियुक्तियों पर भी लंबा इंतजार का संकेत हो रहा है। पर जो नियुक्तियां उन्होंने सीपीएस के माध्यम से करी वह आज भी असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा 12 महीने में 12 जन विरोधी निर्णय, इस सरकार ने 12 महीने में हर महीने एक जन विरोधीनिर्णय लिया है। चाहे डीजल महंगा करना, अनाज महंगा, मंदिरों पर टैक्स, आउटसोर्स नौकरियों के लोगों को निकालना और अनेकों प्रकार के निर्णय जिससे जनता को परेशानी हुई जैसे राजस्व संबंधित फीस बड़ा कर जनता को परेशान करना।

संवेदनहीन सरकार, जश्न जनता की भावनाओं पर कराघात है। एक साल में ऐसा इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया जिससे उनको जश्न मनाने का अधिकार मिले, पर आपदा के समय में यह लोग अपनी जनता का ख्याल भी नहीं रख सके और उसके बावजूद जश्न मनाया गया। इससे ऐसा लगता है कि जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। आपदा के समय अभी तक ऐसे लोगों को जमीन तक नहीं प्राप्त हुई, जिन्होंने अपनी जमीन खो दी थी।

सरकार ने अपनी रैली को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया, भीड़ जुटाने के लिए एचआरटीसी और विभिन्न विभागों का पदुरुपयोग किया गया यहां तक की सरकारी कर्मचारियों का भी उपयोग किया गया। परन्तु रैली में भीड़ तो जुटी नहीं पर उनके वरिष्ठ नेता सरकारी रैली से गायब रहे, प्रियंका गांधी रैली में क्यों नहीं आयी यह आज भी एक बड़ा सवाल है। रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी में खेमे बाजी भी जमके दिखाई दी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बिन्दल ने जारी की केन्द्रीय सहायता की डिटेल

आपदा राहत पर छिड़ी बहस को दिया नया मोड़

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का केंद्र सरकार के खिलाफ यह आरोप है कि केन्द्र ने राज्य की आपदा में उचित सहायता नहीं की है। राज्य सरकार यह मांग करती रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इस आपदा में राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक बारह हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। जब केन्द्र से राज्य को वांछित सहायता नहीं मिल पायी तब राज्य सरकार ने अपने ही संसाधनों से इसके लिये 4500 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। केन्द्र ने प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 करोड़ जारी किये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 100 करोड़ दिये हैं। इस सहायता को राज्य सरकार कितना अधिमान दे रही है यह एक सवाल अलग से खड़ा होता जा रहा है। जब राज्य सरकार इस आपदा के लिये केवल 4500 करोड़ का पैकेज जारी कर रही है तो इसका यह अर्थ भी निकाला जा रहा है कि बाकी का खर्च केन्द्र कर रहा है क्योंकि केन्द्रीय योजनाओं का भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय उच्च मार्गो की रिपेयर की जिम्मेदारी केन्द्र की है। इस परिदृश्य में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने 11 दिसम्बर 2022 से अब तक केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गयी करोड़ों की राशि की डिटेल जारी करके इस बहस को नया मोड़ देने का प्रयास किया है। बिन्दल के मुताबिक 3378 करोड़ की राशि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, पोषण योजना, शिक्षा अभियान जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाएं इसमें नहीं जोड़ी गयी हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि 11 दिसंबर 2022 से अभी तक 3378 करोड़ 9 लाख 65 हजार 384 रुपये केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गये हैं, यह राशि वह है जो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिये सीधा अनुभाग की है। अभी इस राशि के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, पोषण योजना, शिक्षा अभियान जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक, विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाएं नहीं जोड़ी गयी है।

बिंदल ने कहा की भारत सरकार द्वारा अनुभाग हिमाचल प्रदेश को भेजे हैं जिसमे राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि–1 के अंतर्गत 42 करोड 80 लाख रुपये 16 मई–एम 2023, अन्य डीएम परियोजनाएं (स्कूल सुरक्षा सहित)–1 के अंतर्गत 5 लाख 7 हजार रुपये 25 मई 2023, राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा–1 के अंतर्गत 29 करोड़ 11 लाख रुपये 22 जून 2023, एसडीआरएफ–1 के अंतर्गत 180 करोड़ 40 लाख रुपये 10 जुलाई 2023 को प्राप्त हुई। एसडीआरएफ–2 के अंतर्गत 180 करोड़ 40 लाख रुपये 17 जुलाई 2023, राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना–1 के अंतर्गत 553 करोड़ 36 लाख 10 हजार रुपये 26 जुलाई 2023, चुनाव–1 के अंतर्गत 25 करोड़ 98 लाख 23 हजार 101 रु 24 जुलाई 2023, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)–1 के अंतर्गत 189 करोड़ 27 लाख रुपये 7 अगस्त 2023, राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना–2 के अंतर्गत 25 करोड़ रूपये 10 अगस्त 2023, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (एनडीआरएफ)–2 के अंतर्गत 200 करोड़ रूपये 21 अगस्त 2023, राजस्व घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा–2 के अंतर्गत 58 करोड़ 89 लाख 13 हजार रुपये 14 सितंबर 2023, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान–1 के अंतर्गत 52 करोड़ 59 लाख 62 हजार रुपये 27 अक्तूबर 2023, राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना–3 के अंतर्गत 66 करोड़ रुपये 10 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए। इस वित्तीय वर्ष 2023–2024 में केंद्र से प्रदेश को आयी कुल राशि 1603 करोड़ 86 लाख 15 हजार 101 रुपये इसके अतिरिक्त 12 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।

बिन्दल ने कहा की हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 11 दिसंबर 2022 को बनी थी, इस दृष्टि से मार्च 2023 से पहले अनुभाग हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने भेजे हैं वो कुछ इस प्रकार है। राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना–2 के अंतर्गत 50 करोड़ 14 दिसंबर 2022, राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना–3 के अंतर्गत 42 करोड़ 15 दिसंबर 2022, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान–4 32 करोड़ 40 लाख रुपये 24 जनवरी 2023, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान–5 48 करोड़ 60 लाख रुपये 31 जनवरी 2023, राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना–4 के अंतर्गत 69 करोड़ 99 लाख रुपये 8 फरवरी 2023, राजस्व हानि के लिए राज्य को मुआवजा–3 के अंतर्गत 228 करोड़ 80 लाख 95 हजार रुपये 23 फरवरी 2023, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान–5 के अंतर्गत 65 करोड़ 80 लाख रुपये 2 मार्च 2023, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान–6 के अंतर्गत 98 करोड़ 70 लाख रुपये 9 मार्च 2023, राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना–5 के अंतर्गत 332 करोड़ रुपये 14 मार्च 2023, एनडीआरएफ–2 के अंतर्गत 14 करोड़ 26 लाख रुपये 17 मार्च 2023, राज्य आपदा शमन निधि–1 के अंतर्गत 42 करोड़ 80 लाख रुपये 31 मार्च 2023, चुनाव–2 के अंतर्गत 34 करोड़ 14 लाख 55 हजार 283 रुपये की राशि 31 मार्च 2023, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान–6 के अंतर्गत 48 करोड़ 60 लाख रुपये 31 मार्च 2023, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान–7 के अंतर्गत 32 करोड़ 40 लाख रुपये 31 मार्च 2023 को प्राप्त हुये।

11 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई कुल राशि रूपये 1140 करोड़ 50 लाख 50 हजार 283 रुपये आये।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिन्दल ने कहा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को केवल मात्र झूठ बोलने की आदत है और अगर केंद्र किसी भी प्रकार की मदद हिमाचल प्रदेश की करता है तो तथ्यों का झुटलाने का प्रयास करते है कांग्रेस सरकार के नेता। आज जो हमने आपको राशि के आंकड़े बताये है यह कोई छोटी–मोटी नहीं है, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को केंद्र सरकार का आभारी होना चाहिए। जनता को गुमराह करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला।

नव नवनियुक्त मंत्रियों को नहीं मिल पाये विभाग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बारह दिसम्बर को अपने मंत्रिमण्डल का पहला विस्तार करते हुये दो मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इस विस्तार में बिलासपुर से राजेश धर्माणी और कांगड़ा के जयसिंहपुर से यादविन्द्र गोमा को मंत्री बनाया गया है। इन दो मत्रियों की नियुक्ति के बाद भी मंत्री परिषद में एक स्थान खाली रखा गया है। इस खाली रखे गये स्थान से यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद में एक और विस्तार होगा। इस विस्तार में किसको जगह मिलती है यह तो विस्तार के बाद ही पता चल पायेगा। लेकिन अभी हुये विस्तार से यह सवाल उठने लग गया है कि क्या अब क्षेत्रीय सन्तुलन बन पाया है? फिर इन मंत्रियों को विधानसभा सत्र शुरू होने तक विभाग नहीं दिये जा सके है। यदि सत्र के दौरान भी यह लोग बिना विभागों के ही रह जाते हैं तो आने वाले समय में कई वैधानिक प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं जो तमिलनाडू में वी. सेंथिल बालाजी के संद्धर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय में उठ चुके हैं। क्योंकि जब तक मंत्री के पास किसी विभाग की जिम्मेदारी ही नहीं होगी तो उसे बतौर मंत्री वेतन कैसे दिया जा सकेगा? क्योंकि सरकार के रूल्स ऑफ बिज़नेस में बिना प्रभार के मंत्री की अवधारणा नहीं है।

इसी के साथ यह संदेश भी अनचाहे ही जनता में जा रहा है कि विभाग आवंटन को लेकर मंत्रियों में कोई सहमति नहीं बन रही है। यह भी अटकलें लगायी जा रही है कि इस आवंटन में मुख्यमंत्री कोई बड़ा विभागीय फिर बदल करने तो नहीं जा रहे।